न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 –11/18
दायरा दिनांक –01.02.2018
निर्णय दिनांक –24.10.2019

बउनवान

1. जगदीश सिंह अटवाल आयु 68 वर्ष पुत्र श्री सरदार तारासिंह
2. कृपाल सिंह आयु 42 वर्ष पुत्र श्री जगदीश सिंह
3. जोगराज सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र श्री जगदीश सिंह
4. हरतेज सिंह आयु 36 वर्ष पुत्र श्री जगदीश सिंह जातिगण जट–सिक्ख निवासीगण जगदेवपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां

वादीगण

–ःबनामः–

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,91,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः–24.10.2019

वादी की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,188 आर.टी.एक्ट जरिये अभिभाषक विजय प्रकाश नागर ने इस आशय का पेश किया –

1. यह कि वाके माल चेनपुरा पटवार मण्डल खण्डेला तहसील किशनगंज मे आराजियात् ख0न0 20/1 रकबा 27.04 बीघा शा0 नं0 21, ख0न0 22 रकबा 7.09 बीघा, ख0न0 23 रकबा 0.12 बीघा, ख0न0 24/1 रकबा 6.03 बीघा, ख0न0 25/2 रकबा 10.14 बीघा, ख0न0 27/1 रकबा 7.16 बीघा स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे बंजड दर्ज है। इस आराजी को वाद पत्र मे आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से वर्णित किया गया है तथा यह भूमि इस वाद पत्र की विषय वस्तु है–
2. यह कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा सभी वादीगण पृथक–पृथक परिवार के रूप मे अलग–अलग रहते है तथा अपने हक हिस्से की भूमि को पृथक–पृथक काश्त करते है।
3. यह कि उक्त वर्णित विवादित आराजी खसरा सं0 25/2 की 4.10 बीघा, ख0न0 27/1 की 5.15 बीघा आराजी वादी कृपाल सिंह के तनहा कब्जे काश्त से है तथा ख0न0 20/1 शा0न0 21 की 3.00 बीघा व ख0न0 27/1 की 2.05 बीघा भूमि वादी जोगराज सिंह व ख0न0 20/1 शा0न0 21 की 5.00 बीघा भूमि हरतेज सिंह के तनहा कब्जे काश्त मे एवं शेष भूमि ख0न0 20/1 शा0न0 21 की 7.00 बीघा भूमि वादी क्रम 1 जगदीश सिंह के पृथक कब्जे काश्त मे है।

4. यह कि उक्त वर्णित विवादित भूमि सहित कुल 110 बीघा पूर्व मे आदर्श सामूहिक सहकारी समिति शामनगर दीगोदा के कब्जे काश्त एवं खातेदारी मे थी। वादी क्रम 1 तथा उसके भाई तरसेम सिंह एवं बलवीर सिंह ने उक्त खातेदार से कुल 110 बीघा भूमि क्रयकर सक्षम दस्तावेज पंजीकृत करवाया जिसके अनुसार कुल 110 बीघा भूमि मे से वादी क्रम 1 ने 40 बीघा भूमि अपने पास रखी। इस भूमि की 100/— रूपये प्रतिबीघा की दर से 4000/— रूपये भी कीमत वादी ने सामूहिक आदर्श सहकारी समिति शामनगर दीगोदा को अदा की ।
5. यह कि उक्त वर्णित विवादित भूमि सम्वत् 2025 से वादी क्रम 1 के कब्जे काश्त मे रही है तथा वादी क्रम 1 की कृषि कार्यो मे अक्षमता के कारण अपनी कुल भूमि अपने पुत्रों के नाम विभाजित कर दी तथा स्वयं के निर्वाह के लिए 7 बीघा भूमि रखी है शेष 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपने तीनो पुत्रो अर्थात वादी क्रम 2 ता 4 को पृथक दे दी है।
6. यह कि सन् 1963 से वादीगण का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होने से गत 50 वर्षो से निरन्तर निर्बाध रूप से खुला एवं स्वतंन्त्र कब्जा होने से वादीगण विवादित भूमि के स्वतः ही खातेदार हो गये है तथा अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करा पाने के वैधानिक अधिकार एवं नालिशी है।
7. यह कि तत्कालीन जिला कलक्टर बारां श्री आर0एस0 गठाला ने आदर्श सामूहिक सोसायटी श्यामनगर दीगोदा को भंग कर उसके द्वारा किए गए सभी संव्यवहार को वर्ष 1999 मे अवैध घोषित कर दिया इस आदेश के विरूद्व वादी क्रम 1 के बडे भाई तरसेम सिंह ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ बारां के यहॉ अपील की तथा रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ बारां ने सोसायटी को पुनः जारी रखने का आदेश दिया।
8. यह कि जिला कलक्टर बारां ने उक्त विवादित भूमि सहित दीगोदा सामूहिक सोसायटी श्यामनगर दीगोदा मे जमीन पुनः सिवायचक दर्ज कर कतिपय सहरियाओं को 1999 मे ही आवंटित करवा दी। इस आदेश के विरूद्व अपीलान्ट जगदीश सिंह ने अपने भाई बलवीर सिंह के साथ मिलकर राजस्व अपील प्रधिकरण कोटा मे समक्ष अपील पेश की तथा उक्त उनवान प्रकरण अपील संख्या 38/2000 भूप्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा एवं बन्दोबस्त अधिकारी कोटा बमुकदमे प्रकरण जगदीश सिंह बनाम चिन्टू वगैरा निर्णय दिनांक 29.06.2000 से समस्त आवंटन को निरस्त कर भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये व आदेश दिया कि दिनांक 30.07.2000 को आवंटन सलाहकार समिति काबिज काश्तकारों को भूमि के सम्बन्ध मे समक्ष कार्यवाही अमल मे लावे किन्तु इस आदेश दिनांक 29.06.2000 की प्रतिवादी ने अद्यतन कोई पालना नही की है।
9. यह कि प्रतिवादी के समक्ष अनेको बार सन् 2000 से लेकर अद्यतन वादीगण निवेदन कर रहे कि विवादित भूमि पर तनहा स्वत्व एवं खातेदारी अधिकार प्रदान करे। परन्तु इसके लिये वे इन्कारी है।

10. यह कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय के अनेको न्यायिक विनिश्चयों के बावजूद एवं समसामयिक नियम कानून एवं सरकार के आदेश अनुसार विवादित भूमि के वादीगण खातेदार कृषक घोषित होने योग्य है जिन्हे न मानकर प्रतिवादी वादीगण के हक हकूको की अवहेलना कर रहा है।

11. यह कि प्रतिकूल कब्जे के सिद्वान्त के अनुसार भी वादीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। भूमि की एक बार विक्रय प्रतिफल राशि वादीगण अदा कर चूके है। अस्तु भूमि निर्बाध रूप से वादीगण के तनहा स्वत्व एवं खातेदारी की होने से राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण अपना नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करा पाने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है।

12. यह कि प्रतिवादी बार–बार विवादित भूमि से वादीगण को बेदखल करने के लिए धारा 91 ले0रे0 एक्ट की कार्यवाही अमल मे लाता है। ऐसी स्थिति मे वादीगण प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि विवादित भूमि से वादीगण को बेदखल न करे उन्हे शान्तीपूर्वक काबिज काश्त बना रहने दे। किसी प्रकार का जुर्माना राज न करे। ना ही बंजड दर्ज होने का लाभ उठाकर किसी अन्य व्यक्ति को आवंन्टित करे।

13. यह कि वाद कारण दिनांक 15.12.2016 को प्रतिवादी के समक्ष जाकर वादीगण द्वारा निवेदन करने पर अनसुनी कर देने एंव अन्तिम बार दिनांक 19.09.2017 को धारा 80 जा0दी0 के तहत विधिक नोटिस प्रेषित करने एवं राज0 सरकार जर्ये जिला कलेक्टर बारां को नोटिस प्राप्त होने पर बावजूद नोटिस कोई सुनवाई न करने पर पैदा हुआ। अस्तु वाद अवधि मध्य पेश है।

14. यह कि न्याय शुल्क के प्रयोजनार्थ विवादित भूमि के लगान 20 गुना न्याय शुल्क निर्धारित किया जाकर उचित न्यायशुल्क अदा करते हुए वाद प्रस्तुत है।

15. यह कि माननीय न्यायालय को वाद के परीक्षण का आर्थिक एवं क्षैत्रिक अधिकार प्राप्त है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर बाद तहकीकात वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार सादर डिक्री जारी की जावे–

1. कि आराजी ग्राम चैनपुरा ख0न0 25/2 की 4.10 बीघा, ख0न0 27/1 की 5.15 बीघा, आराजी वादी कृपाल सिंह के तथा ख0न0 20/1 शा0न0 21 की 3.00 बीघा व ख0नं0 27/1 की 2.05 बीघा भूमि वादी जोगराज सिंह व खसरा नं0 20/1 शा0न0 21 की 5.00 बीघा, भूमि हरतेज सिंह के एवं शेष भूमि ख0न0 20/1 शा0 नं0. 21 की 7.00 बीघा भूमि वादी क्रम 1 जगदीश सिंह भूमि बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉद्र मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने की आज्ञप्ति प्रदान कर उन्हे खातेदार घोषित किया जावे।

2. कि प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि विवादित भूमि से वादीगण को बेदखल न करे, उन्हे शान्तिपूर्वक काबिज काश्त बना

रहने दे, किसी प्रकार का जुर्माना राज वसूल न करे, ना ही सिवायचक दर्ज होने का लाभ उठाकर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर कब्जा न दे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथि को प्रतिवादी क्रम 4 स्वयं उपस्थित प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से एड0 भगवान लाल नरवरिया ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी क्रम 4 की आदेशिका दिनांक 16.04.2015 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। आदेशिका दिनाक 22.07.19 को प्रतिवादी 5 आदेशिका दिनांक 04.09.19 से प्रतिवादी क्रम 1/1 ता 1/5, 2, 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी अधि0 ने साक्ष्यवादी मे pw-1 छीतरलाल, pw-2 मानसिंह के बयान लेखबद्व करवाये गये। दौराने बयान छीतरलाल pw-1 ने जाहिर किया –

ग्राम लाखाखेडी रामपुरिया मे आराजी ख0न0 88 व 157 की कुल 14 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी बद्रीलाल,मांगीलाल व रमाकान्त के खाते दर्ज है। इस जमीन पर जब से मेने होश सम्भाला तब से काश्त करता हूॅ। पहले मेरे पिता जी काश्त करते थे। इस जमीन को 70–80 वर्ष से काश्त करते चले आ रहे है। खातेदार बद्रीलाल मांगीलाल व रमाकान्त फौत हो चुके है। प्रतिवादीगण मृतक के विधिक वारिस है। इस जमीन के बाबत् न्यायालय एसीएम बारां मे लक्ष्मीनारायण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0 का किया था। जिसमे लक्ष्मीनारायण ने वादग्रस्त आराजी पर धन्नालाल का कब्जा माना था। यह दावा खारिज हुआ था। उसकी नकले मेने पत्रावली मे पेश की है। मेने वादपत्र मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 पेश की है प्रदर्श p-1 है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020–23 प्रदर्श p-2 है तथा ख0न0 88 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020–23 पेश की है। जो प्रदर्श p-3 हैं। प्रदर्श 2 व प्रदर्श–3 मे खसरा सं0 88 एवं 157 मे जेली काश्तकार धन्नालाल मीणा का नाम दर्ज है। जो मेरे पिता थे। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032–35 प्रदर्श p-4 है। लक्ष्मीनारायण ने वादग्रस्त आराजी के बेचान के बदले राशि 250/– प्राप्त किये थे। जिसकी रसीद प्रदर्श–p-5 है। मेने अपने वकील से नोटिस प्रेषित करवाया जो प्रदर्श p-6 है। पूर्व मुकदमा ख0स0 64/67 एसीएम न्यायालय बारां की जनरल INDEX प्रदर्श p-7 है तथा नकल आर्डर शीट प्रदर्श p-8 है। नकल वाद पत्र प्रदर्श p-9 है। वादग्रस्त आराजी पर हमारे द्वारा काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले से ही खेती करी जा रही थी। मेने न्यायालय से चाहता हूॅ कि वादग्रस्त आराजी पर मुझे खातेदार घोषित किया जावे व रिकॉर्ड मे मेरे नाम अंकन किया जाये।

वादी अधि0 और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधि0 की साक्ष्यवादी समाप्त की गई। प्रतिवादी साक्ष्य मे पेरोकार सरकार ने कोई साक्ष्य पेश नही की एवं पेरोकार सरकार की साक्ष्य बन्द की गई। वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई। दौराने बहस वादी अधि0 ने वादपत्र मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा ना ही कभी उसको काश्त किया प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से आवंटन करा ली।

सिकमी काश्तकार थे वादीगण को काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तहसीलदार किशनगंज से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मौके पर वादी का कब्जा है। आद्योपान्त विवेचनानुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,63(4) 188 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि

—:क्रियात्मक आदेश :—

वाकेग्राम लाखाखेडी की आराजी ख0न0 88 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 157 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों की करावे। निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2020.01.17 15:15:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: